प्रेषक,

<u>**अतिमहत्वपूर्ण / परीक्षा / ई–मेल**</u>

उपनिदेशक,
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,
अलीगंज लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0।

2. समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0।

पत्रांकः2451 / रा0व्या0प्रशि0परि0 / क0सेल / 2020 लखनऊ, दिनांकः29 फरवरी, 2020

विषयः एन0सी0वी0टी0 / एस0सी0वी0टी0 परीक्षाओं में प्रशिक्षार्थी को बिना Allow किये हुऐ परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है, कि कुछ संस्थानों द्वारा कतिपय प्रशिक्षार्थियों को एन0सी0वी0टी0 / एस0सी0वी0टी0 परीक्षा हेतु पोर्टल पर Allow नहीं किया जाता, और बिना Hall Ticket, बिना फीस के ऐसे प्रशिक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित करा दिया जाता है, परन्तु एन0सी0वी0टी0 / एस0सी0वी0टी0 पोर्टल पर Allow न किये जाने के कारण प्रशिक्षार्थी का रिजल्ट अपूर्ण रहता है। अपूर्ण रिजल्ट आने के उपरान्त संस्थानों द्वारा प्रशिक्षार्थी को उपस्थिति प्रपत्र की एक प्रति देकर परिषद कार्यालय को संदर्भित कर दिया जाता है, Allow न होने के कारण प्रशिक्षार्थी के परीक्षाफल में संशोधन सम्भव नहीं होता और प्रशिक्षार्थी परिषद में इधर उधर घूमता रहता है, जिससे परिषद एवं विभाग की छवि धूमिल होती है।

ऐसे प्रशिक्षार्थी को फीस और Allow के बारे में बताने पर उससे ज्ञात होता है, कि प्रशिक्षार्थी द्वारा परीक्षा शुल्क संस्थान में जमा कर दी गयी थी, परन्तु Allow list देखने पर विदित होता है कि प्रशिक्षार्थी को परीक्षा हेतु Allow ही नहीं किया गया और संस्थान द्वारा परिषद को बगैर परीक्षा शुल्क जमा किये तथा बिना Allow किये ही प्रशिक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित करा दिया जाता है, जो कि वित्तीय अनियमितता तथा धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

अतः समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रशिक्षार्थी को एन0सी0वी0टी0 एम0आई0एस0 / एस0सी0वी0टी0 पोर्टल पर बिना Allow किये, किसी भी दशा में प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा में कदापि सम्मिलित न कराया जाय। साथ ही परिषद पत्रांकः 1677 / रा0व्या0प्रशि0परि0 / ईएक्स–005 / अ0भा0व्या0परी0 / 2020 / लखनऊ, दिनांक 09 जनवरी, 2020 में दिये गये निर्देशों का पालन कड़ाई से करते हुए प्रशिक्षार्थियों को किसी भी दशा में परिषद न भेजा जाए।

भवदीय,

(सी0पी0 अग्रवाल)
उपनिदेशक

पत्रांकः / रा0व्या0प्रशि0परि0 / क0सेल / 2020 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वैयक्तिक सहायक, अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
2. विशेष कार्याधिकारी, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ, उ0प्र0।
3. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि0 / शिक्षु0)।
5. समस्त मण्डल प्रभारी, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ, उ0प्र0।
6. सहायक लेखाधिकारी, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ, उ0प्र0।
7. शिकायत प्रकोष्ठ / नोटिस बोर्ड हेतु।

(सी0पी0 अग्रवाल)
उपनिदेशक